

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मेरठ द्वारा मेरठ नजीबाबाद मार्ग खण्ड एन0एच0-119 के जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत किमी0 चैनेज 48.400 से किमी0 67.180 तक 27.7437 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं जनपद बिजनौर के अन्तर्गत किमी0 चैनेज 67.180 से 79.330 तक 11.1077 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 38.8514 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग तथा विभिन्न प्रजातियों के बाधक वृक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में 7846 वृक्ष व जनपद बिजनौर में 4316 वृक्ष अर्थात् कुल 12162 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/रोड/43253/2019)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-256/81-2-2021-800(230)/2021 दिनांक 06 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी
Date: 03-12-2021 19:14:44
Reason: Approved

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)
सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।